



ज० पा० डिप्टीकन, 1998

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 1998—वैशाख 11, शक 1920

स्थानीय शासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 1998

19-अठारह-3-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ड सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-ए, 339-ब, 339-ग एवं 339-ड सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम प्रकाशित करता है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा प्रसार.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश के समस्त नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायतों की सीमा एवं नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय तथा पोषित प्लानिंग एरिया में प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है नगरपालिका निगमों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)।

- (ख) "कालोनाइजर" से अभिप्रेत है विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीयत समिति, सहकारी समिति संस्था या अन्य कोई पंजीकृत संस्था सहित ऐसा व्यक्ति या संस्था जो किसी कृषि भूमि सहित अन्य भूमि को भूखण्डों में विभाजित करने के प्रयोजन से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जिसका इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया हो।
- (ग) "नगरपालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो। *इसके अन्तर्गत साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।*
- (घ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत।
- (च) "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" से अभिप्रेत है भू-राजस्व संहिता, 1959 (सन् 1959 का क्र. 20) के अंतर्गत नियुक्त अनुविभागीय अधिकारी।
- (छ) "भूखण्ड धारक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी नगरपालिक क्षेत्र में कोई भूखण्ड, कालोनी निर्माण करता है या किसी व्यक्ति से अंतरण के किसी विलेख के अधीन या अंतरण के किसी करार के अधीन धारण करता है।
- (ज) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के संलग्न प्ररूप। *नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों द्वारा जोषित स्थितियों पर निर्माण*
- (झ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है/ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिक निगम की सीमा में आता है की स्थिति में नगरपालिक आयुक्त तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र के संबंध में जो किसी नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा में आता है, की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।
- (ण) आंतरिक विकास कार्य से तात्पर्य कालोनी सीमा में निर्धारित मानक अनुसार किए जाने वाले निम्नलिखित विकास कार्य से है:—

- (एक) समतलीकरण।
- (दो) प्रस्तावित मार्गों का एवं अभिन्यास में स्वीकृत भूखण्डों का सीमांकन।
- (तीन) प्रस्तावित मार्ग का निर्माण (आई. आर. सी. मानक अनुसार)।
- (चार) यदि कालोनी की भूमि में वर्तमान में मार्ग विद्यमान है उस दशा में कालोनी के स्वीकृत अभिन्यास के आधार पर उस मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण करना (आई. आर. सी. के मानक अनुसार)।
- (पांच) पुलियों का निर्माण (आई. आर. सी. के मानक अनुसार)।
- (छः) प्रस्तावित नाली निर्माण यदि विद्यमान है तो वर्तमान नाली का केवलाईनेशन (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
- (सात) आंतरिक जलप्रदाय प्रणाली का क्रियान्वयन (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
- (आठ) आंतरिक सीवर लाईन का निर्माण (पी. एच. ई. के मानक अनुसार)।
- (नौ) सेंटिक टेक का निर्माण (यदि प्रस्तावित है) (पी. एच. ई. के मानक के अनुसार)।

कारी समिति/को भूखण्डों में का आशय बांछा रखने कालोनाइजर

पंचायत को

तर्गत नियुक्त

निर्माण करा जाता है.

परिष्कारण में आगरा पंचायत

कास कार्य

धार पा

नुसार)

(दस) आंतरिक विद्युत् व्यवस्था में बिजली के खम्बे लगाना आदि (एम. पी. ई. बी. द्वारा निर्धारित मानक अनुसार).

(ग्यारह) ओव्हर हेड टैंक का निर्माण.

(बारह) कालोनी में प्रस्तावित खुले क्षेत्रों का विकास.

(तेरह) मार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना.

(त) बाह्य विकास कार्य से तात्पर्य निर्धारित मापदण्ड में निम्नलिखित विकास कार्यों से हैं,—

(एक) कालोनी सीमा से प्रारंभ हो कर नगर के विद्यमान मार्ग तक कालोनी से पहुंच मार्ग के रूप में निर्मित किये जाने वाले नए मार्ग.

(दो) यदि कालोनी के संलग्न वर्तमान मार्ग विद्यमान है उस दशा में विद्यमान मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण हेतु आने वाला व्यय.

(तीन) कालोनी के लिए विद्युत् प्रदाय करने हेतु कालोनी की सीमा से वर्तमान विद्युत् लाईन तक लाईन का निर्माण कार्य.

(चार) भूमिगत मलबहन प्रणाली के अंतर्गत कालोनी की सीमा तक वर्तमान प्रणाली से कालोनी की प्रणाली को जोड़ने हेतु व्यय.

(पांच) यदि कालोनी में नगर स्तरीय जल प्रदाय प्रणाली से जल प्रदाय करना प्रस्तावित है उस दशा में कालोनी सीमा से वर्तमान पाईप लाईन तक नई पाईप लाईन बिछाने का कार्य.

(थ) विकास व्यय लागत से अभिप्रेत है खण्ड (ण) एवं (त) में उल्लिखित कार्यों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण करने में आने वाला व्यय जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो.

(८) कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण.—(1) ऐसा कालोनाइजर जो किसी नगरपालिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है, जिसे नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जावेगा.

(एक) किसी भूमि को भूखण्डों में विभाजित करने के प्रयोजन से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है;

(दो) ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की बांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है;

द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण हेतु इन नियमों के संलग्न प्ररूप-एक में आवेदन किया जावेगा.

(2) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा:—

(एक) नियम-4 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क नगरपालिक क्षेत्र में जमा करने के प्रमाण में रसीद की प्रति;

(दो) ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है की स्थिति में 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी तथा ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है की स्थिति में एक लाख रुपये की बैंक गारंटी. बैंक गारंटी पंजीयन की पूरी अवधि के लिए होना अनिवार्य होगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की स्थिति में उपनियम (2) के अधीन जमा किए गए रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 20% राशि काट कर शेष राशि को बैंक गारन्टी आवेदनकर्ता को वापसी योग्य होगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में, उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जावेंगे तथा आवेदन-पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने जैसी भी स्थिति हो की कार्यवाही आवेदन-पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो आवेदन अस्वीकृत समझा जावेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में इसकी अपील रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अमान्य किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र इन नियमों के संलग्न प्ररूप-दो में जारी किया जावेगा तथा सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन नियमों या अधिनियम में वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों के अतिरिक्त भी अन्य शर्तें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंकित कर सकेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा तत्पश्चात् नवीनीकरण योग्य होगा।

(8) किसी भी नगरपालिक क्षेत्र में प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक्-पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जमा आवश्यक नहीं होगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में रजिस्ट्रीकरण कालोनाइजर्स के नामों की सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड, कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा सार्वजनिक स्थलों पर चर्चा कर प्रकाशित की जावेगी।

4. रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क.—रजिस्ट्रीकरण शुल्क रु. 5,000/- (पांच हजार रुपए) और नवीनीकरण शुल्क रु. 2,000/- (दो हजार रुपए) होगा, जिसे नगरपालिका कोष में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी।

5. रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्योक्तार्ण.—कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटी द्वारा पंजीयत समिति, सहकारी संस्था, अन्य कोई पंजीकृत संस्था की दशा में संस्था द्वारा निर्वाचित संचालक कालोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा यदि—

(क) प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दी गई कोई जानकारी सही नहीं है, अथवा जानकारी अपूर्ण है,

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ग) (एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ड या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेत प्रतिपथ अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या देश में प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत आने वाले संश्लेष अपराध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष उठराया गया हो, जय तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,

(दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा—

(1) उपखण्ड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष उठराया गया हो और दो वर्ष से अन्तः कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

(2) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाभूति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि उपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष उठराया गया हो,

जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो।

स्यद्दीकरण:—

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबन्ध करने वाली विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बन् रखने वाला कोई आदेश नियम या अधिसूचना जिसमें:—

(एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण या विनियमन करने,

(दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने,

(तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, वयधन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने,

(चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबन्ध है,

(ख) "औषधि" का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन रागग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है,

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है,

(घ) "खाद्य" का वही अर्थ होगा जो खाद्य अधिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है.

(ङ) पूर्व में यदि आवेदक के कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नियम-7 या 13 के अधीन रद्द किया गया हो.

(3) (ज) सक्षम-न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो.

6. रजिस्टर का रखा जाना.—सक्षम प्राधिकारी प्ररूप-तीन में एक पंजी रखेगा जिसमें इन नियमों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के संपूर्ण ब्यौरे और साथ ही वे निबन्धन या शर्तों जिनके अध्याधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है दर्ज किये जाएंगे और उसमें आवेदक का पूर्ण पता लिखा जावेगा. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की स्थिति में उसकी सूचना संक्षम प्राधिकारी को देगा.

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्द किया जाना.—सक्षम प्राधिकारी स्वयं या किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के किसी निबन्धन, शर्त या निबन्धनों या शर्तों या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा :

परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक रद्द नहीं किया जावेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुने जाने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्द किये जाने के आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर इसकी अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि कोई कालोनाइजर एक से अधिक कालोनियों का निर्माण करता है और उनमें से एक कालोनी का निर्माण विधिवत करता है और दूसरी में कुछ अनियमितताएं की जाती हैं तब इसके कारण रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द नहीं किया जावेगा. चूंकि जिस कालोनी में अनियमितताएं पाई जाती हैं उन अनियमितताओं के संबंध में ही कार्रवाई की जावेगी :

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि कालोनाइजर द्वारा चार-चार अनियमितताओं को दोहराया जाता है तब उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा.

8. कालोनी के विकास के लिए आवेदन पत्र तथा अनुमति शुल्क.—

(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कालोनाइजर जब किसी कालोनी की स्थापना और उसके विकास का कार्य हाथ में लेना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-चार में उसके द्वारा कालोनी विकास का कार्य शुरू करने या भूखण्डों का विक्रय करने के लिये प्रस्तावित तिथि से कम से कम 90 दिन पूर्व आवेदन-पत्र उप नियम (2) में निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा.

(2) कालोनी के विकास की अनुमति के लिये निम्नानुसार शुल्क देय होगा, जिसे कालोनाइजर द्वारा नगरपालिका कोष में जमा कर उसकी रसीद की सत्यप्रति उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न कराया जावेगा:—

(एक) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	:	रु. 10,000/- प्रति हेक्टर
(दो) तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र	:	रु. 4,000/- प्रति हेक्टर
(तीन) नगरपालिका क्षेत्र	:	रु. 2,000/- प्रति हेक्टर
(चार) नगर पंचायत	:	रु. 1,000/- प्रति हेक्टर

9. अनापत्ति प्रमाण-पत्र का लिया जाना.—(1) नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षमप्राधिकारी द्वारा निर्मांकित अनापत्तियाँ/अनुमति संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त की जावेगी:—

(क) शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत,

(ख) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र,

(ग) नज़ूल अधिकारी से.

(2) उप नियम (1) में वर्णित अनापत्तियाँ या अभिमत यदि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पत्र के दिनांक से पैंतालीस दिन की समायाधि में संबंधित विभाग नहीं देते हैं तब इसे उनकी स्वीकृति मानकर नियम 8 के अधीन प्राप्त आवेदन-पत्र का निराकरण आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के भीतर किया जावेगा.

(3) उप नियम (2) में वर्णित अवधि के उपरांत यदि सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवेदन-पत्र का निराकरण किये जाने की सूचना आवेदक कालोनाइजर को प्राप्त नहीं होती है. तो कालोनाइजर सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित में सूचना देगा. सूचना प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति जारी नहीं किए जाने पर उस अवधि के उपरांत आवेदक कालोनाइजर को विकास अनुमति दी गई मानी जावेगी, परन्तु उक्त कालावधि की संगणना करने में आवेदक से कोई अतिरिक्त जानकारियाँ या दस्तावेजों के लिए अध्यापना करने की तारीख तथा आवेदक से ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख के बीच की कालावधि अपवर्जित कर दी जावेगी. यह समझी गई अनुमति उस सीमा तक मान्य होगी जहाँ तक कि तत्समय प्रचलित किसी भी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो, अर्थात् तत्समय प्रचलित अधिनियम/नियम/उपविधि के अन्तर्गत ही समझी गई अनुमति मान्य होगी.

10. आवासीय कालोनी में समाज के कमजोर वर्गों के लिये भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराए जाना.—(1) एक एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में कालोनाइजर द्वारा विकसित किए भूखण्डों के 15% के बराबर पूर्ण विकसित भूखण्ड कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंपे जावेंगे. वे सभी भूखण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर कमजोर आय वर्ग के लोगों को आवंटित किये जावेंगे. इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र कमजोर आय वर्ग के लोगों की सूची शासन द्वारा विहित अधिकारी द्वारा संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में इसका नवीनीकरण किया जावेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन पात्र व्यक्तियों का चयन संभाग आयुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति द्वारा किया जावेगा—

(एक) नगर निगम की स्थिति में महापौर तथा नगरपालिका/नगर पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष,

(दो) उप पंजीयक, सहकारिता,

(तीन) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

(चार) नगर निगम की स्थिति में नगरपालिका आयुक्त तथा नगरपालिका/नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

(3) उपनियम (2) के अधीन चयनित पात्र व्यक्तियों की सूची विहित प्राधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी तथा कालोनाइजर को उपलब्ध कराई जावेगी, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड उपनियम (1) अनुसार आवंटित किये जावेंगे.

(4) ऐसे कालोनाइजर, जो अपनी आवासीय कालोनी में उपनियम (1) के अनुसार कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिये विकसित भूखण्ड देने के बजाए आवासीय भवन निर्मित करके उपलब्ध कराया चाहे, तो वह विकसित भूखण्डों के कुल क्षेत्र के 1/4 भाग के बराबर निर्मित क्षेत्र में भवन हुडकी द्वारा ई. डब्ल्यू. एस. के लिए निर्धारित साइज में निर्मित कर सक्षम प्राधिकारी को सौंप सकेंगे जिनका आवंटन पात्र व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर सक्षम प्राधिकारी करेगा.

जमा कर
होगी:-

संपत्तियां

समायावधि
तिथि से

ती सूचना
30 दिन
कालोनाइजर
दस्तावेजों
जित कर
प्रावधानों

जावेगा-

धिकारी.

उपलब्ध

भूखण्ड
पत क्षेत्र
पक्तियों

(5) कमजोर आय वर्ग के लिए उपरोक्तानुसार आवासीय भूखण्डों/भवनों को छोड़कर ही अन्य भूखण्डों/भवन आवंटित करने की पात्रता कालोनाइजर को होगी.

(6) ऐसे कालोनाइजर जो अपनी आवासीय कालोनी में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए उपनियम (1) या (4) के अधीन भूखण्ड निर्माण अथवा भवन निर्मित नहीं करना चाहते उनके लिये यह विकल्प होगा कि वे अपनी कालोनी से एक किलोमीटर की त्रिज्या में (रेडियस) निर्धारित आकार के एवं निर्धारित संख्या में विकसित भूखण्ड/निर्मित भवन बनाकर अथवा क्रय कर, उपरोक्तानुसार कमजोर आय वर्ग के लोगों को आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सौंपेंगे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जावेगा.

(7) उपनियम (1) या उपनियम (4) या उपनियम (6) के अधीन कमजोर आय वर्ग के लोगों की भूखण्ड/भवन आवंटित करने पर प्राप्ति प्राप्त होगी उसे सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को भुगतान करेंगे.

(8) यदि दो वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी भूखण्ड/भवन पात्र व्यक्तियों को आवंटित नहीं कर पाते हैं तब ऐसे भूखण्ड/भवन सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को वापस किये जावेंगे.

(9) कालोनाइजर को नियम-8 में वर्णित आवेदन देते समय ही यह स्पष्ट करना होगा कि उप नियम (1), (4) या (6) में से कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे तथा आवेदन-पत्र के साथ ही चुने गये विकल्पों के विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे. सक्षम प्राधिकारी इन विकल्पों का तकनीकी परीक्षण करा कर, कालोनी निर्माण की मंजूरी के समय विकल्पों के विषय में भी उल्लेख करेंगे.

11. शहरी भूमि की उपलब्धता एवं अनुकूलतम उपयोग.—जिस भूमि पर शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 लागू होता है, उस भूमि में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिये कुल विकसित क्षेत्रफल के कम से कम 25% के बराबर विकसित क्षेत्र भूखण्ड के रूप में शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत घोषित सीलिंग अतिशेष भूमि के निर्धारित दर पर, राज्य शासन द्वारा विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराने एवं शेष भूमि पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना तथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवासीय योजना क्रियान्वित करने हेतु प्राप्ति एवं सहकारी समितियां सहमत होते हैं तो उन्हें शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा छूट प्रदाय दी जावेगी. राज्य शासन द्वारा योजना के अनुमोदन दिनांक से एक वर्ष की अवधि में योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ एवं तीन वर्ष की अवधि में पूरी करना अनिवार्य होगा. उपरोक्तानुसार निर्धारित विकसित भूखण्ड लेने के अतिरिक्त, कमजोर आय वर्ग के लिए किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत कोई भूखण्ड नहीं लिये जावेंगे. उपरोक्त संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश लागू माने जावेंगे.

12. कालोनी के विकास कार्य की अनुमति दिया जाना.—नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियम 9, 10 एवं 11 में वर्णित प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 5 में कालोनी के विकास की अनुमति दी जावेगी.

(एक) कालोनाइजर द्वारा विकसित किये जाने वाले भूखण्डों में से कमजोर आय वर्ग के लिये सुरक्षित रखे गये भूखण्डों को छोड़कर शेष के पच्चीस प्रतिशत की संख्या में भूखण्ड संबंधित नगरपालिका के पास बंधक रखना होगा. ये भूखण्ड नियम 13 के उप नियम (2) के अधीन रहते हुए कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर बंधनमुक्त किये जावेंगे तथा विक्रय हेतु कालोनाइजर को उपलब्ध होंगे. बंधक किये गये भूखण्डों/भवनों के क्रमांकों की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जावेगी साथ ही ऐसी सूचना की प्रति सब रजिस्ट्रार को भी भेजी जावेगी.

(दो) कालोनी के आंतरिक विकास पर व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत के 2% के बराबर राशि पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में कालोनाइजर द्वारा संबंधित नगरपालिका के कोष में जमा कराना होगा.

(तीन) कालोनी के रखरखाव हेतु नगरपालिका को हस्तांतरित करने के लिये नगरपालिका द्वारा निर्धारित मापदण्ड का पालन कालोनाइजर को करना होगा.

(चार) कालोनाइजर द्वारा कालोनी का विकास कार्य पूर्ण करने की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जावेगी. सूचना प्राप्त होने पर 15 दिन की समायावधि में संबंधित कालोनी के विकास कार्यों का निरीक्षण कर विकास कार्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के दिनांक को ही संबंधित कालोनी रखरखाव हेतु नगरपालिका को अंतरित होने मान्य किया जावेगा.

(पांच) कालोनाइजर कालोनी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर, बाह्य विकास लागत राशि रुपये 10/- प्रति वर्ग मीटर की दर से नगरपालिका कोष में नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा. राज्य सरकार इस दर को समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी.

(छः) खण्ड (पांच) अनुसार राशि जमा हो जाने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि में नगरपालिका द्वारा विकास कार्य पूर्ण कर कालोनाइजर को सूचित किया जावेगा.

प्राप्ति

13. कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि.—(1) नियम 12 के अन्तर्गत कालोनी के विकास को जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर कालोनाइजर द्वारा आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा.

(2) यदि उप नियम (1) में निर्धारित समयावधि में कोई कालोनाइजर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करता है तब सक्षम प्राधिकारी कालोनाइजर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् कालोनी के आंतरिक विकास का कार्य अपने हाथ में लेकर विकास कार्य पूर्ण करेगा और इस प्रकार कराए गए कार्य पर जो व्यय आया उसकी प्रतिपूर्ति नियम 12 के खण्ड (एक) के अधीन बंधक किए गए पच्चीस प्रभूखण्डों का विक्रय कर की जावेगी.

14. नियम 12 का पालन न करने का प्रभाव.—यदि नियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त होने के पूर्व कोई कालोनाइजर कालोनी विकास का कार्य प्रारंभ करता है या भूखण्डों का विक्रय करता है या विक्रय करने के लिये उद्यत होता है तब ऐसी स्थिति में प्राधिकारी ऐसे कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा और ऐसी कानूनी कार्रवाई कर सकेगा जो वह विधि के अधीन, कर विनिश्चय करे ;

परन्तु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे कालोनाइजर को अपना पक्ष प्रस्तुत कर समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु यह और भी की रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के कारण लेख बद्ध करना अनिवार्य होगा.

15. कालोनियों का प्रबन्ध.—(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में कालोनाइजर द्वारा अवैध व्यपवर्तन के क्षेत्र में बनाये गये खण्डों के अन्तर्ण किये जाने या अन्तर्ण का करार किये जाने या अवैध तरीके से कालोनी बनाने का तथ्य आता है और यदि वह ऐसी अवैध प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेना वांछनीय समझता है तो वह एक सूचना जारी करेगा और उसे कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें कम से कम एक हिन्दी भाषा का होना चाहिये, प्रकाशित करेगा और उक्त भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिये कहेगा कि उक्त भूमि का प्रबन्धन उसके द्वारा अधिकार में क्यों न ले लिया जाय.

(2) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सूचना के संबंध में या अन्यथा रूप में प्राप्त हुई आपत्तियों या सुझावों को यदि कोई हो पर विचार करेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति से जिसने कोई आपत्ति उठाई हो, स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा तथा सभी संगत दस्तावेजों के साथ मौखिक सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए कहेगा.

(3) सुनवाई हेतु नियत तारीख को पक्षकारों को यदि वे उपस्थित हों, सुनने के बाद और मामले में आगे ऐसी जांच करने के बाद वह उचित समझे सक्षम प्राधिकारी—

(क) यदि उसे किसी अवैध व्यपवर्तन या उस पर अवैध रूप से कालोनी बसाने का पता चलता है तो वह भूमि का प्रबन्ध हटा ले सकेगा.

(ख) यदि उसको इस बात से समाधान हो जाता है कि भूमि अवैध व्यपवर्तन या अवैध रूप से कालोनी बसाने के अधधीन है तो कार्यवाही बन्द कर सकेगा.

(4) भूमि के प्रबन्ध हेतु अपने कर्तव्य के पालन में सक्षम प्राधिकारी अपने अधीनस्थ एक या अधिक अधिकारियों को संपत्ति के, उचित सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिए और जहां कहीं आवश्यक हो, उसका किराया और अन्य लाभ वसूल करने के लिए और संपत्ति के परिरक्षण तथा परिरक्षण हेतु कोई वाद या अभियोजन या अन्य वैध कार्यवाही चलाने और उसका प्रतिवाद करने के लिए ऐसी शक्तियां प्रत्यागोचर कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे.

(5) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया हो तब वह ऐसी भूमि के विकास और वैयक्तिक भूखण्डों को यदि कोई हो, भूमि के आवंटन की योजना तैयार करवाएगा और इस प्रकार तैयार कराई गई योजना का प्रकाशन, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उस रीति से, जैसी वह उचित समझे करेगा.

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि के प्रबन्ध पर किए गए व्यय की राशि भूमि के विकास खर्च में शामिल की जावेगी और वह यथानुसार या किसी अन्य समुचित आधार पर उन व्यक्तियों से वसूल की जावेगी जिन्हें योजना के अधीन भूखण्ड आवंटित किए गए हों.

16. निरसन.—इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से, इन नियमों के तत्स्थानी वे समग्र नियम तथा उपविधियां जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त हों निरस्त हो जाएंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों तथा उपविधियों में से किसी भी नियम तथा उपविधि के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की समझी जाएगी.

प्रारूप-एक

[देखिए नियम-3 (1)]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

1. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
.....
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र
जिला

कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत है:—

- (1) रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क रु. नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (सत्यप्रति संलग्न है) द्वारा जमा कर दिए गए हैं.
- (2) बैंक गारन्टी रु. संलग्न है.
- (3) अन्य अपेक्षित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

1. आवेदक का नाम तथा पूरा वर्तमान पता तथा स्थायी पता.
2. क्या आवेदक एक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है.
3. यदि आवेदक—
 - (क) व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता,
 - (ख) निजी कम्पनी है तो पंजीयन के स्थान सहित कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता,
 - (ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो संचालकों की राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता वालों के द्वारा धारित अंशपूंजी का प्रतिशत तथा निगमन का स्थान,
 - (घ) फर्म या संघ है तो फर्म या संघ के सभी भागीदारों की राष्ट्रीयता,
 - (ङ) संस्था (सोसायटी) है तो उसके ब्यौरे.
4. आवेदक का व्यवसाय या कारोबार का स्वरूप.
5. आवेदक के स्वामित्व की अचल और चल संपत्ति के ब्यौरे.
6. क्या उसने यह आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व कोई भूमि विकसित की है, यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए.
7. क्या आवेदक के पास कालोनी स्थापित करने के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन हैं. (पर्याप्त ब्यौरे दीजिये).

8. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए.

9. आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये लेखे के विवरण की प्रति संलग्न करें).

10. संयुक्त हित, यदि कोई हो, का स्वरूप.

11. यदि आवेदक कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहता है तो उसके पिछले अनुभव का उल्लेख किया जाय. यदि वह प्रबन्धक नियुक्त करना चाहता है, तो प्रबन्धक का नाम, उसकी अर्हताएं, उसके पिछले अनुभव का स्वरूप तथा सीमा का उल्लेख किया जाय और उसका सहमति-पत्र संलग्न किया जाय.

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं.

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर तथा पदनाम.

प्ररूप-दो (6)

[देखिए नियम-3 (4)]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वाचन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन श्री/श्रीमती/महोदय

निवासी

आत्मज

प्रायः वाड

मोहरला

तहसील

नगर

का एतद्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है.

जिला

(1) यह पंजीयन नगर के निवेश क्षेत्र/पंचायत क्षेत्र/न. पा. क्षेत्र तक के लिए है.

(2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाइजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देना होगा.

(3) प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारम्भ करने की अनुमति अलग-से प्राप्त करना होगी.

सोल

स्थान

दिनांक

टीप.— कालोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनी में भूखण्डों/भयनों का आवंटन या आवंटन करने के करार करने की मात्रा तब ही होगी जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है.

नगरपालिका आयुक्त/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

प्ररूप-तीन
(देखिए नियम-6)

पंजी

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख तथा वर्ष
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक
3. उस व्यक्ति का नाम जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया
4. पिता का नाम
5. यदि फर्म कम्पनी या संघ या संस्था (सोसाइटी) है तो सभी भागीदार सदस्यों के नाम
6. वे निर्वन्धन, शर्तें तथा निर्वन्धन जिसके अधधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया
7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने की तारीख और रद्द करने के संक्षिप्त कारण
8. नियम-8 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र की तारीख
9. नियम-12 के अधीन दी गई अनुमति की तारीख

प्ररूप-चार
(देखिए नियम-8)

कालोनी के विकास के लिये आवेदन-पत्र

1. नगरपालिक आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरपालिक क्षेत्र
जिला

कालोनी के विकास की अनुमति हेतु निम्न विवरण अनुसार आवेदन प्रस्तुत है:-

1. आवेदक का पूरा नाम (क्या व्यक्ति फर्म, सहकारी संस्था या कोई अन्य वर्ग की संस्था, कम्पनी है इसका उल्लेख करें).
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक
3. वर्तमान पता
4. सर्वे क्रमांक सहित उस भूमि के ब्यौरे जिसका विकास करना अपेक्षित है
5. अधिकार जिसके अधीन आवेदक ने भूमि धारण की है
6. आवेदक के स्वामित्व की अचल संपत्ति के ब्यौरे
7. क्या उसने यह आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कोई भूमि विकास की है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दीजिए

नियुक्त
उसका
प्रस्तुत

देश
ती

8. कालोनी की स्थापना हेतु वित्तीय साधनों के ब्यौरे
9. क्या आवेदक को कभी किसी अपराध के लिए दोगसिद्ध ठहराया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए
10. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:—
 - (1) कालोनी विकास की अनुमति के लिए निर्धारित शुल्क रु. (रुपये) नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत कोष में रसीद क्रमांक दिनांक (सत्यप्रति संलग्न है) द्वारा जमा कर दिए गए हैं.
 - (2) उस भूमि के संबंध में जिस पर कालोनी बसाने हेतु अनुमति मांगी गयी है, अधिकार स्वत्व या हित संबंधी प्रमाण के आशय से सब-रजिस्ट्रार पंजीयन के प्रमाण-पत्र व दस्तावेज की सत्यप्रति.
 - (3) विकसित की जाने वाली भूमि के भू-व्यपवर्तन प्रमाण-पत्र की सत्यप्रति.
 - (4) प्रस्तावित विकास मानचित्र.
 - (5) समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूखण्ड/भूमि उपलब्ध कराने के लिए नियम-10 अनुसार चयन किए गए विकल्प ब्यौरा.
 - (6) नियम-12 (एक) अनुसार बंधक किए जाने वाले भूखण्डों का ब्यौरा.
 - (7) कालोनी के विकास कार्य पर अनुमानित व्यय-पत्रक जो किसी अर्हता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित हो तथा यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत के कोष में इस अनुमानित व्यय-पत्रक में अंकित राशि के 2% के बराबर राशि जमा करने के प्रमाण में रसीद क्रमांक व दिनांक अंकित करते हुए रसीद की सत्य प्रति लिए।
 - (8) ऋण मुक्तता प्रमाण-पत्र.

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/कृपया मुझे/हमें कालोनी बनाने का कार्य हाथ में लेने की अनुमति प्रदान करें.

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्ररूप-पांच
[देखिए नियम-12]

कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक

अनुमति क्रमांक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वाचन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए श्री/श्रीमती मेसर्स आत्मज निवासी मोहल्ला ग्राम/वार्ड नगर तहसील जिला को. ख. क्र. कुल रकबा ग्राम में स्थित आवासीय कालोनी में विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

- (1) नगर-भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा.
- (2) म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा.
- (3) म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा.
- (4) कमजोर वर्ग के भूखण्डों/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा.

नगरपालिक आयुक्त/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, अपर सचिव